परिचालन संरक्षा चेतावनी संख्या - 05 /2021

(Operating Safety Alert No.05 /2021)

विषय- स्टेशन मास्टर द्वारा फाटक बंद करने हेतु गेट मैन से प्राइवेट नंबर आदान-प्रदान न किये बिना गाड़ी खुलाया जाना।

पूर्व मध्य रेल के दानापुर मंडल के अथमल गोला स्टेशन के स्टेशन मास्टर ने दिनांक 02.12.2021 को गाड़ी संख्या 15527 अप पटना-जयनगर (कमला गंगा एक्सप्रेस) जिसका आगमन अथमल गोला स्टेशन पर 10.52 hrs.पर हुआ, का लाइन क्लियर बख्तियारपुर लिंक स्टेशन से 10.50 hrs. पर लिया परन्तु गाड़ी खुलाने से पहले समपार फाटक संख्या 61/C/E बंद करने लिए स्टेशन मास्टर द्वारा गेटमैन से प्राइवेट नंबर आदान-प्रदान नहीं किया गया। लोको पायलट गाड़ी संख्या 15527 अप ने उक्त समपार फाटक से एक ट्रेक्टर को गुजरते देखा और गाड़ी को खुला फाटक में आने से रोका जो लगभग समपार फाटक के पास आकर रुकी। सीटी सुनकर एवं गाड़ी को आते देख कार्यरत गेटमैन ने भी फाटक को बंद कर दिया था।

विदित हो कि गेटमेन श्री नरेन्द्र कुमार ने भी सामान्य और सहायक नियम 16.03 (vi) में वर्णित नियम का पालन नहीं किया जिसमे कहा गया है कि " जहाँ गेट फाटक सिगनल / रोक सिगनल से सुरक्षित नहीं किये गए हैं तो ऐसे समपार फाटकों को जब तक सड़क यातायात के लिए खुला रखा जाता है तब तक आती हुई गाड़ी की ओर समपार के दोनों तरफ दिन के समय लाल झंडी और रात के समय लाल बत्ती दिखाया जाना चाहिए।"

प्रथम दृष्टया कारण के मद्देनजर कार्यरत स्टेशन मास्टर/ अथमल गोला श्री प्रिन्स राय को लापरवाही का दोषी पाया गया और निलंबित कर दिया गया है एवं D&AR के तहत आगे की कारवाई प्रक्रियाधीन है।

अतः स्टेशन मास्टर की लापरवाही के कारण बड़ी दुर्घटना होते-होते बची। उपरोक्त घटना के आलोक में समस्त मंडलों को निर्देशित किया जाता है कि इस प्रकार की लापरवाही की पुनरावृति को रोकने के लिए गाड़ी परिचालन से जुड़े समस्त कर्मचारियों को अपने कर्तव्य के प्रति सजग एवं सतर्क करने हेतु आवश्यक करवाई करें। इस संरक्षा चेतावनी को प्प्रत्येक स्टेशनों पर वितरित करवाएं और कर्मचारियों से इस संबंध में सपथ प्राप्त करे।

(सलिल कुमार झा)
प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक

सं0.ई सी आर /परि. संरक्षा /चेतावनी /73 /505, दिनांक 06.12.2021

प्रतिलिपि:

1. सचिव, महाप्रबंधक /पूमरे, हाजीपुर – महाप्रबंधक महोदय को सादर सूचनार्थ हेतु।
2. प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी/ पूमरे, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवशयक कारवाई हेतु।
3. मण्डल रेल प्रबंधक –धनबाद,दानापुर, डी डी यू ,सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ।
4. वरि.मण्डल परिचालन प्रबंधक-धनबाद,दानापुर,डी.डी.यू,सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवशयक कारवाई हेतु।